न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—266/2016 /223(2016/00266)

1. सुवा पुत्र गोरधन उर्फ गोधू आयु 65 वर्ष जाति जाट ·
2. किशना पुत्र गोरधन उर्फ गोधू आयु 63 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम कानपुरा हाल निवासी गोरधनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र लाला **मृतक** जरिये वारिसान
1. सोभाग पुत्र रघुनाथ
2. राधा पुत्री रघुनाथ
3. रूकमा पुत्री रघुनाथ
2. काना दत्तक पुत्र उगमा पौत्र लाला जाट
3. गौरी बेवा उगमा **मृतक** जरिये वारिसान
3/1 काना दत्तक पुत्र स्व. उगमा (रेस्पोडेंट संख्या 2)
4. उगमा पुत्र मांगू **मृतक** जरिये वारिसान
4/1 काना दत्तक पुत्र स्व. उगमा (रेस्पोडेंट संख्या 2)
5. श्रीमती रसाल बेवा श्रीकिशन पुत्रवधु मांगू जाट मृतक वारिसान
5/1 शम्भू पुत्री श्रीकिशन जाति जाट
6. धूकल पुत्र जवाहरा **मृतक** वारिस
6/1 चौधू पुत्र धूकल
6/2 जड़ाव पुत्र धूकल
7. रामकरण पुत्र सूजा पौत्र जवाहरा
8. छोटू पुत्र सूजा पौत्र जवाहरा **मृतक** वारिसान
8/1 सेना पुत्र छोटू
8/2 माना पुत्र छोटू
8/3 कैलाश पुत्र छोटू
8/4 छोटी पत्नी छोटू
9. बालू पुत्र सूजा पौत्र जवाहरा सभी जातिगण जाट निवासीगण ग्राम कानपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
10. सुरजकरण पुत्र सांवाला जाट
11. हरचंद पुत्र सावंला जाट **मृतक** वारिसान
11/1 श्रीकिशन पुत्र हरचंद जाट
11/2 भंवरलाल पुत्र हरचंद जाट
11/3 रामधन पुत्र हरचंद जाट
12. रामचंद पुत्र सांवला **मृतक** वारिसान
12/1 बरदी पत्नी रामचंद जातिगण जाट निवासी ग्राम कानपुरा हाल निवासी गोरधनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

13. बालू पुत्र जेठू जाट
14. रंगा पुत्र गणेश जाट
15. हंगामा पुत्र गणेश जाट
16. धन्ना दत्तक पुत्र पन्ना पौत्र गणेश जाट
17. श्योजी पुत्र रामकरण पौत्र गणेश जाट

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

18. छोटू पुत्र रामकरण पौत्र गणेश जाट
19. छगना दत्तक पुत्र भूरा जाति जाट
20. सोनिया पुत्र धूकल जाट
21. श्रवण पुत्र धूकल जाट
22. गोविंदा पुत्र सुरजकरण जाट
23. मंगल पुत्र रामनाथ जाट
24. रामधन पुत्र रामनाथ जाट
25. रामकिशन पुत्र रामनाथ जाट
26. श्रीकिशन पुत्र रामनाथ जाट जातिगण जाट निवासी ग्राम कानपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, नसीराबाद जिला अजमेर

परफोर्मा रेस्पोडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा दिनांक 30.07.2003 अंतर्गत वाद संख्या 15/93 .

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, अभिभाषक अपीलांट ।.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 27
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/3, 2, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7, 8/1 से 8/4, 9, 10 से 26 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 25.08.2022.

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय दिनांक 30.07.2003, वाद संख्या 15/93 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है अधीनस्थ न्यायालय उप—जिलाधीश, अजमेर के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9/वादीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,188,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा की आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पुराने खसरा नम्बर1249 रकबा 1—4—10 के नया खसरा नम्बर 2216 पुराने खसरा नम्बर 2153 रकबा 7—3—10 के नया खसरा नम्बर 2214 पुराने खसरा नम्बर 2155 मिन, रकबा 12—1—0 के नया खसरा नम्बर 2239 है आराजी का उपयोग करते आ रहे हैं तथा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम जमाबंदी संवत 2024 से 2027 में खातेदार छज्जू बेवा छीतर जाट 9 हिस्सा बालू पुत्र जेठा जाट 9 हिस्सा गणेश पुत्र बलदेव व भूरा पुत्र बलदेव जाट बराबर 3 हिस्सा, एवं रामनाथ पुत्र रघुनाथ, धूकल पुत्र रघुनाथ, गोदू पुत्र रघुनाथ बराबर 3 हिस्सा एवं मांगू पुत्र लाला व गोविंदा पुत्र लाला 2 हिस्सा एवं भूरी बेवा नन्दा जाट 4 1/2 हिस्सा एवं सांवरा पुत्र उदा जाट 27/2

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हिस्सा एवं लाला पुत्र जगरूप जाट कुल 72 हिस्सा तथा संयुक्त खातेदारों में से छज्जु का स्वर्गवास हो गया के वारिस बालू प्रतिवादी संख्या 4 हुआ एवं गणेश का स्वर्गवास हो गया के वारिस प्रतिवादी संख्या 5 से 9 है भूरा का स्वर्गवास हो गया के वारिस प्रतिवादी संख्या 10 हुआ एवं रामनाथ का स्वर्गवास हो गया के वारिस प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 है धूकल का स्वर्गवास हो गया के वारिस प्रतिवादी 11 व 12 है। गोदू का का स्वर्गवास हो गया के वारिस प्रतिवादी संख्या 13 व 14 है। गोविंदा का स्वर्गवास हो गया के वारिस प्रतिवादी संख्या 15 है मांगू का स्वर्गवास हो गया के वारिस वादी संख्या 4 व 5 है भूरी बेवा नंदा नाऔलाद फौत हो गयी है। सांवरा का स्वर्गवास हो गया के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है। जवाहरा का स्वर्गवास हो गया के वारिस वादी संख्या 6 से 9 है। हजारी का नाऔलाद स्वर्गवास हो गया व रामनाथ का स्वर्गवास हो गया के वारिस प्रतिवादी संख्या 16 से 19 है।लाला का स्वर्गवास हो गया के वारिस वादी संख्या 1 से 3 है। उपरोक्त भूमि में आराजी खसरा नम्बर 2155 मिन रकबा 12–1–0 जिसका हाल खसरा नम्बर 2239 बना है का विभाजन नहीं हुआ है व संयुक्त रूप से काबिज है व दिनांक 07.10.1992 को वादीगण उपरोक्त भूमि की हकाई करने गए तो प्रतिवादीगण ने वर्किंग जमाबंदी में उनके नाम होना बताकर धमकी दी की फौजदारी मुकदमा दर्ज कर जमीन बेचकर दम लेंगे वाद उत्पन्न हुआ अनुतोष के रूप में खसरा नम्बर 2239 को संयुक्त रूप से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी घोषित किया जावें तथा वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1से 03 ,13 व 14 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब दावा प्रस्तुत होने के पश्चात प्रकरण में कुल 5 तनकीयात कायम की जाकर, बाद साक्ष्य व सुनवाई के दिनांक 27. 12.199 को वाद खारिज कर दिया गया, के विरूद्ध मान्नीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमरे के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 15.02.2001 को स्वीकार की जाकर आदेश दिये ये कि राजस्व रेकार्ड की वाद संख्या 15/1993 के समय की स्थिति को यथावत रखा जावें एवं वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु भेजा गया, जहॉ पर वाद पुनः दर्ज कर सुनवाई की गयी तथा पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2003 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया कि खसरा नम्बर 2239 रकबा 18–09–00 को सुवा के नाम व उसके भाई किशना के नाम जिसके पक्ष में विक्रय अभिलेख पंजीकृत किया गया की डिक्री पारित की जावें तथा उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा राजीनामा से प्रकरण में निर्णय पारित किया गया कि सुवा व किशना पि. गोरधन प्रतिवादी संख्या 13 व 14 के नाम नामान्तकरण संख्या 157 दिनांक 30.03.2000 के अनुसार जो अंकन किया गया वह सही है तथा इस भूमि पर काबिज काश्त सुवा व किशना राजीनामें अनुसार है। मात्र 17–05–00 बीघा भूमि का ही खातेदारी घोषित किया जाता है का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2020 को पारित किया गया के विरूद्ध यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांटस की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/3, 2, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7, 8/1 से 8/4, 9, 10 से 26 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने प्रार्थना–पत्र बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.07.2003 की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 06.06.2016 को कैम्प कोर्ट कानपुरा में होने पर अविलम्ब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 05.07.2016 को अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण की नकले प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जो दिनांक 06.07.2016 को प्राप्त हुई। अपील पेश करने में देरी हुई है। उक्त विलंब क्षमा किया जाना न्यायोचित है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी को क्षमा की जाकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद पत्र का निर्णय राजीनामा दिनांक 30.7.2003 के अनुसार निर्णय डिक्री पारित की गई जबकि राजीनामा खसरा नम्बर 2239 रकबा 18–9–0 का किया गया तथा निर्णय डिक्री रकबा 17–5–0 की पारित की गई जबकि अपीलार्थीगण के द्वारा खसरा नम्बर 2239 रकबा 18–9–0 की सम्पूर्ण भूमि जरिये पंजीकृत बेनामा दिनांक 21.5.1999 को क्रय कि गई तथा कब्जा प्राप्त कर खातेदार काश्तकार चले आ रहे थे तथा उक्त राजीनामे के अनुसार निर्णय डिक्री पारित नहीं की गई जबकि अपीलार्थीगण के द्वारा राजीनामे अनुसार निर्णय डिक्री पारित किए जाने का राजीनामों का प्रस्तुत किया गया था जिससे अपीलाधीन आदेश अपास्थ किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के द्वारा निर्णय डिक्री दिनांक 30.7.2003 की जानकारी खसरा नम्बर 2239 राजीनामा के अनुसार सम्पूर्ण भूमि डिक्री पारित नहीं करने की जानकारी खसरा नम्बर 2239 के हाल खसरा नम्बर 2654 रकबा 0.23 वर्तमान राजस्व रेकार्ड में निजी कार्य के लिए दिनांक 21.2.2011 व 27.1.2011 को पटवार हल्के से जमाबंदी की नकल ली तो जानकारी हुई की रकबा कम अंकन हो गया तो कम रकबा 1–8–0 की खातेदारी के लिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष दिनांक 7.4.2011 को वाद प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 60/11 का निर्णय डिक्री दिनांक 6.6.2016 को इस आधार पर कर दिया गया कि माननीय आर. ए. ए अजमेर की पालना में नामांतरण अंकन किया गया तथा निर्णय के विरूद्ध कोई चाराजोही नहीं की गई है। जिससे यह अपील जानकारी से अविलंब निर्णय डिक्री दिनांक 30.7.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है जो अपीलाधीन आदेश अपास्थ किए जाने योग्य है। उपरोक्त दावाकृत भूमि खसरा नम्बर 2239 रकबा 18–9–0 का खातेदार काश्तकार अपीलार्थीगण को सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा दिनांक 27.12.1999 को वाद संख्या 59/99 में निर्णय डिक्री पारित कर घोषित किया गया तथा नामांतकरण संख्या 157 दिनांक 30.3.2000 से खसरा नम्बर 2239 रकबा 18–9–0 अपीलार्थीगण के नाम अंकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्णय डिक्री पारित किया गया किंतु अंकन नहीं हुआ है,किंतु संपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो अपास्थ किया जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.7.2003 को निरस्त किया

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजी 2239 रकबा 18–09–0 बीघा में से नियमानुसार अवशेष भूमि बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व वाद संख्या 15/1993 को पुनः दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण से जवाब दावा प्राप्त कर पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 25.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर